



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-10082026-275353
CG-TL-E-10082026-275353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4222]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4222]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4400(अ).— रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24), की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार इस बातसे संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात् महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – अंकाई के बीच रेलपथ दोहरीकरण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमिका अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है.

उक्त भूमि में रुचि हितप्रधद कोई भी व्यक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-विभागीय अधिकारी, येवला, नाशिक जिला, को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी, उप-विभागीय अधिकारी, येवला, नाशिक जिला, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) -अंकाई दोहरीकरण के लिए विशेष रेलवे परियोजना हेतु किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जानेवाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

भूमि अधिग्रहण का विवरण – नासिक जिला में यात्री और माल सुविधा के लिए छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) -अंकाई दोहरीकरण परियोजना.

राज्य: महाराष्ट्र

जिल्हा: नाशिक

अ. क्र.	भूमिधारक का नाम	सुर्वेक्षण सं./ गट सं.	अधिग्रहित की जानेवाली अनुमानित भूमि हे.आर.	7/12 के अनुसार भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र हे.आर.	मामले का विवरण
तालुका: येवला		ग्राम: नगरसुल			
1	नारायण सीताराम पैठणकर, विठ्ठल सीताराम पैठणकर, भारती पुंडलिक पैठणकर, आसाराम किसन पैठणकर, नवनाथ पुंडलिक पैठणकर, दिगंबर पुंडलिक पैठणकर, रुख्मिणीबाई पुंडलिक पैठणकर, जयराम दामू पैठणकर, लहाणू दामू पैठणकर, बबन दामू पैठणकर, सोपान निवृत्ती पैठणकर, कारभारी निवृत्ती पैठणकर, भीमाबाई पांडुरंग कामोदकर, गयाबाई चांगदेव घोडके, अरुणा संपत बटवळ मंगल साहेबराव जेजूरकर. दक्षिण मध्य रेल्वे (मनमाड – औरंगाबाद रेल्वे लाइन)	1202	0.25	0.74	मामला सं एलएक्य सं -09/2026
		कुल	0.25		

[फा. सं. E-313959/20A/070826]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण –V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 7th August, 2026

S.O. 4400(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred to as the said Act), central government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, Chhatrapati Sambhajnagar(Aurangabad) – Ankai in Nashik district in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Sub Divisional Officer, Yeola, Nashik district in writing and shall be set out the grounds thereof and the competent authority Sub Divisional Officer, Yeola, Nashik district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the special railway project namely – Chhatrapati Chamarajanagar (Aurangabad) – Ankai Doubling in the state of Maharashtra.

Description of Land in Acquisition: - project of Chhatrapati Chamarajanagar (Aurangabad) – Ankai Doubling Dist.- Nashik for passenger and freight facility.

State: Maharashtra**Dist.: Nashik**

Sr. No.	Name of Land Holder	Survey No./ Gut No.	Approximate Land to be Acquired (HR)	Land Acquisition Area as per 7/12 (Hectare)	Details of the case
Taluka: Yeola			Village: Nagarsol		
1	Narayan Sitaram Paithankar, Vitthal Sitaram Paithankar, Bharati Pundalik Paithankar, Asaram Kisan Paithankar, Navnath Pundalik Paithankar, Digambar Pundalik Paithankar, Rukhminibai Pundalik Paithankar, Jayram Damu Paithankar, Lahanu Damu Paithankar, Baban Damu Paithankar, Sopan Nivrutti Paithankar, Karbhari Nivrutti Paithankar, Bhimabai Pandurang Kamodakar, Gayabai Changadev Ghodake, Aruna Sampat Bataval, Mangal Sahebrao Jejurkar. South Central Railway(Manmad – Aurangabad Railway Line)	1202	0.25	0.74	Case No. LAQ NO-09/2026
		Total	0.25		

[F. No. E-313959/20A/070826]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-V